

गन्ना भुगतान पर चीनी मिलों को 10 हजार करोड़ रुपये की राहत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: किसानों को गन्ना भुगतान में हुए व्यय पर आम बजट में सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को भारी राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट पोटली से सहकारी क्षेत्र को कई तरह की सुविधाएं देने की घोषणा की है। इससे देश के लगभग एक दर्जन राज्यों के गन्ना किसानों और चीनी मिलों को लाभ होगा।

सहकारी चीनी उद्योग पिछले कई वर्षों से अलग तरह की चुनौतियों से जूझ रहा था। गन्ना किसान और चीनी उद्योग राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र हैं। इस बजट



टैक्स दायरे में रखा गया है मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की सहकारी समितियों को सिर्फ

मिलों को 10 हजार करोड़ रुपये की भारी राहत दी गई है। मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की सहकारी समितियों को सिर्फ 15 प्रतिशत के टैक्स दायरे में रखा गया है। पैक्स व मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी के नकद जमा और ऋण के लिए दो लाख रुपये की सीमा तय की गई है। जबकि, नकद निकासी की टीडीएस की अधिकतम सीमा तीन करोड़